रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 340]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 7, 2017/भाद्र 16, 1939	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 247
No. 340]	DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 7, 2017/BHADRA 16, 1939	[N.C.T.D. No. 247

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 6 सितम्बर, 2017

सं.फा. सचि0/11/75/परि0/1997/पार्ट–III/202.—मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (2) तथा धारा 2 के खण्ड (41) के साथ पठित भारत के राजपत्र, असाधारण भाग–II धारा–3, उपधारा (i) में प्रकाशित सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 01 मई, 2017 की अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 423(अ) के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली मोटर वाहन नियमावली 1993 का पुनः संशोधन करने के लिये निम्नलिखित प्रारूप, जो बनाना प्रस्तावित करते हैं, इससे प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना वाले दिल्ली राजपत्र की प्रतियां जनता को जिस तिथि से उपलब्ध कराई जाती है, उस तिथि से दस दिन की अवधि बीतने के पश्चात् उक्त प्रारूप पर, निर्धारित अवधि के भीतर इस संबंध में प्राप्त होने वाली/वाले कुछ आपत्तियां या सुझाव के साथ विचार किया जाएगा।

2. इस संबंध में आपत्तियां या सुझाव आयुक्त (परिवहन), परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार, 5/9 अंडर हिल रोड़, दिल्ली–110054 को सम्बोधित की जानी चाहिए।

प्रारूप नियमावली

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :–इन नियमों को दिल्ली मोटर वाहन (संशोधन), नियमावली, 2017 कहा जायेगा।

   (2) यह दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाषन की तिथि से लागू होगी।

2. **नियम 97 का संषोधनः**–दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 के नियम 97 के उपनियम (2) को हटाया जायेगा।

3. नियम 97 के उप–नियम (3) में ''उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन में'' शब्दों के स्थान पर ''सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 01 मई, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 1374(ई) के उल्लंघन में'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 6th September, 2017

No.F. Sectt/11/75/Tpt/1997/Part-III/202.—The following draft of rules further to amend the Delhi Motor Vehicle Rules, 1993, which the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi proposes to make in pursuance of the Government of India, Ministry of Road Transport and Highways Notification Number G.S.R 423 (E) dated the 1st May, 2017, in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub section (i) read with clause (41) of section 2 and sub-section (2) of section 212 of the Motor Vehicles Act,1988 (59 of 1988), is hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of a period of ten days from the date on which the copies of the Delhi Gazette containing this notification are made available to the public, together with any objections or suggestions that may be received in respect thereto by the stipulated period.

2. Objections or suggestions in this behalf should be addressed to the Commissioner (Transport), Government of National Capital Territory of Delhi, Transport Department, 5/9, Under Hill Road, Delhi-110054.

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement.—**These rules may be called the Delhi Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette

2. **Amendment of rule 97.—**In the Delhi Motor Vehicles rules, 1993, sub-rule (2) of rule 97 shall be omitted.

3 In sub rule (3) of rule 97, for the words "in contravention of above provisions" the words "in contravention of Government of India, Ministry of Road Transport and Highways Notification Number S.O 1374 (E) dated 01st May, 2017" shall be substituted.

सं.फा. सचि0 / 11 / 75 / परि0 / 1997 / पार्ट–III / 203.—भारत के राजपत्र, असाधारण भाग–II धारा–3, उपधारा (i) में प्रकाशित सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 01 मई, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 423(अ) के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा दिनांक 07 जनवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या फा0 सचि0 / 11 / 75 / परि0 / 1997 / पार्ट–III / 04 तथा दिनांक 18 फरवरी, 2003 की अधिसूचना सं0 फा0 सचि0 / 11 / 75 / परि0 / 97 / 975 को निरस्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

वर्षा जोशी, सचिव एवं आयुक्त (परिवहन)

No.F. Sectt/11/75/Tpt/1997/Part-III/203.—In pursuance of the Government of India, Ministry of Road Transport and Highways Notification Number G.S.R. 423 (E) dated the 1st May, 2017, published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II section 3, sub-section (i), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby repeals the notification nos F.Sectt/11/75/Tpt/1997/Part-III/04 dated the 7th January, 2014 and no. F.Sectt./11/75/Tpt/97/975 dated 18^{th} February, 2003.

By Order and in the name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

VARSHA JOSHI, Secy.-cum-Commissioner (Transport)

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.09.11 19:11:06 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.